इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015—फाल्गुन 8, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

एफ. क्र. 1ए-05-2015-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

- इन नियमों में जहां कहीं भी शब्द ''कृषि विकास'' आए हों के स्थान पर शब्द ''कृषक कल्याण और कृषि विकास विभाग'' स्थापित किए जाएं.
- 2. अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''अनुसूची—चार (नियम 13 देखिए)

विभाग	सेवा या पद का	पदोन्नति के	उस सेवा या पद		विभागीय पदोन्नित समिति के सदस्य
का नाम	नाम जिससे	लिए सेवा	का नाम, जिस पर		
	पदोन्नति की	का अनुभव	पदोन्नति की		
	जानी है		जाना है		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
किसान कल्याण	1. अपर संचालक	3 वर्ष	संचालक	(क)	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
तथा कृषि विकास					(गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा) के लिए
विभाग.	2. संयुक्त संचालक	3 वर्ष	अपर संचालक	1.	मुख्य सचिव — अध्यक्ष
	3. उप संचालक	5 वर्ष	संयुक्त संचालक	2.	शासन का वरिष्ठतम सचिव सदस्य
	4. सहायक संचालक	5 वर्ष	उप संचालक	3.	सचिव या विशेष सचिव, किसान
					कल्याण तथा कृषि विकास विभाग— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	5. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	5 वर्ष	सहायक संचालक 4.	उप सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (भारसाधक राजपत्रित स्थापना). — सचिव
			5.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नाम- निर्दिष्ट अधिकारी जो प्रमुख सचिव/ सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो. — सदस्य
	6. संयुक्त संचालक	3 वर्ष	संचालक कृषि, (ख) अभियांत्रिकी.	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी राजपत्रित पदों के लिए (किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संचालक के पद को छोड़कर).
	7. कृषि यंत्री	5 वर्ष	संयुक्त संचालक, 1. कृषि अभियांत्रिकी.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य. — अध्यक्ष
	 सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निदेशक. 	5 वर्ष	कृषि यंत्री 2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल. — सदस्य
	9. यांत्रिकी सहायक/	5 वर्ष	सहायक कृषि यंत्री/ 3.	सचिव, किसान कल्याण तथा
	उपयंत्री.	2 41	मुख्य निदेशक.	कृषि विकास विभाग. — सदस्य
			4.	उपसचिव, किसान कल्याण तथा
				कृषि विकास विभाग (भारसाधक
				राजपत्रित स्थापना). — सचिव
			5.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
				जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का
				कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो प्रमुख सचिव/ सचिव की पद
				श्रेमुख सायपा सायपा का पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो. — सदस्य
	10. सहायक लेखा	5 वर्ष	लेखा अधिकारी/ (ग)	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी और
	अधिकारी/सहायक		उप संचालक,	द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के किसान
	संचालक.	C	(लेखा एवं स्थापना).	-
	11. अधीक्षक	5 वर्ष	सहायक लेखा	के सभी राजपत्रित पद
			अधिकारी/ सहायक 1. संचालक.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट
			લ વાલવા.	सदस्य. — अध्यक्ष
	12. उप संचालक	5 वर्ष	संयुक्त संचालक, 2.	सचिव, किसान कल्याण तथा
	(सांख्यिकी).		(सांख्यिकी).	कृषि विकास विभाग. — सदस्य
	13. सहायक संचालक	5 वर्ष	उप संचालक, 3.	
	(सांख्यिकी).	- 1	(सांख्यिकी).	कृषि विकास. — सदस्य
	 अनुसंधान सहायक सहायक सांख्यिकीय 	, 5 পাপ	सहायक संचालक, 4. (सांख्यिकी).	उपसचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (भारसाधक
	सहायक साध्यकाय अधिकारी.		(\m \cap \q \tau) .	राजपत्रित स्थापना). — सचिव
				•

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			·.	 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो प्रमुख सचिव/ सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो — सदस्य.

टिप्पणी.—(1) केवल वे ही कृषि यंत्री, संयुक्त संचालक, कृषि अभियांत्रिकी के पद पर पदोन्नित के पात्र होंगे, जिन्होंने कृषि अभियांत्रिकी में कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है.

(2) यह संशोधन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

F. No. 1A-05-2015-XIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Agriculture Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) Through out the rules, the words "Agriculture Department", wherever they occur the words "Farmer Welfare and Agriculture Development Department" shall be substituted.
- (2) for the Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-IV (See rule-13)

Name of Department		Name of Service or Post from which Promotion is to be made	Service experience for Promotion	Name of Service or Post to which Promotion is to be made		Members of the Departm Promotion Committee	
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	
Farmer Welfare and	1.	Additional Director	3 years	Director		(a) For the post of Director, Welfare and Agriculture 1 (Non- I.A.S.)	
Agriculture Development.	2.	Joint Director	3 years	Additional Director.	1.	Chief Secretary	Chairman
	3.	Deputy Director	5 years	Joint Director.	2.	Senior most Secretary to Government.	Member
	4.	Assistant Director	5 years	Deputy Director.	3.	Secretary or Special Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Development.	Member
					4.	Deputy Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Development (In-Charge Gazetted Establishment).	Secretary
					5.	A nominated officer not below the rank of Principal Secretary/Secretary belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes Category.	Member

100 (2)		121 4 (1 (1)	112, 14 11-12 27 114			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
	5. Senior Agriculture Development Officer.	5 years	Assistant Director.	(b)	For Class I to Class I All Gar Posts (except the post of the Farmer Welfare and Agricultu Development).	Director,
	6. Joint Director	3 years	Director, Agriculture Engineering.	1.	The Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member nominated by the him.	Chairman
	7. Agriculture Engineer	5 years	Joint Director	2.	Agriculture Production Commissioner Mantralaya.	Member
	8. Assistant Agriculture /Chief Instructor.	5 years	Agriculture Engineer.	3.	Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	Member
	9. Mechanical Assistant/ Sub Engineer.	5 years	Assistant Agriculture Engineer/ Chief Instructor.	4.5.	Deputy Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Develpment Department (In-Charge Gazetted Establishment). A nominated officer not below the rank of Principal Secretary/Secretary belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes Category.	Secretary
1	O. Assistant Accounts Officer/Assistant Director (Accounts an Establishment).	5 years	Accounts Officer/Deputy (Accounts and Establishment).		For class III to Class II and Class II to Class I All Gazett posts of the Farmer Welfare Agriculture Development Department.	ted
1	1. Superintendent	5 years	Assistant Accounts Officer/Assistan Director (Account and Establishmen	nt	The Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member nominated by the him.	Chairman
1	2. Deputy Director (Statistics).	5 years	Joint Director (Statistics).	2.	Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	Member
1	3. Assistant Director (Statistics).	5 years	Deputy Director (Statistics).	3.	Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	Member
1	4. Research Assistant/ Assistant Statistical Officer.	5 years	Assistant Director (Agriculture Statistics).	4.	Deputy Secretary, Farmer Welfare and Agriculture Development Department (In-Charge Gazetted Establishment).	Secretary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				5. A nominated officer not below the rank of Secretary/ Deputy Secretary belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes Category.

Note:—Only those Agriculture Engineer, who have obtained at least a Degree in Agriculture Engineering shall be eligible for promotion to the post of Joint Director, Agriculture.

(2) This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

- 2